

विधानसभा आम चुनाव 2018

प्रारूप 21 ग

(नियम 64 देखिये)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)  
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के  
परिणाम की घोषणा

178- मांडल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से  
राजस्थान राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक  
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधो के अनुसरण में, मैं  
घोषणा करता हूँ कि -

श्री रामलाल जाट

प्रतापपुरा पोस्ट अंटाली तहसील- आसीन्द (भीलवाड़ा)

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रकृत पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए  
गये ।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से  
निर्वाचित हो गए है ।

स्थान : राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, भीलवाड़ा

दिनांक : 11 दिसम्बर, 2018



(नरेंद्र कुमार मीना)

रिटर्निंग ऑफिसर

178-माण्डल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र  
(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट माण्डल)

रिटर्निंग ऑफिसर  
178, माण्डल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र  
(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट)  
माण्डल

**ASSEMBLY GENERAL ELECTION 2018**  
**FORM-21C**

(For use in General Election when seat is contested)  
(See rule 64)

Declaration of the result of Election  
under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

**Election to the Legislative Assembly of S-23 Rajasthan State  
from the 178-MANDAL Assembly Constituency.**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of  
the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of  
the Conduct of Elections Rules, 1961.

I declare that -

**SHRI RAMLAL JAT**  
PRATAPURA VPO ANTALI TEH. ASIND BHILWARA


Sponsored by - **INDIAN NATIONAL CONGRESS**  
(Name of the recognised/registered political party)

has been duly elected to fill the seat in that House from the  
above constituency.

Place : Govt. polytechnic College, Bhilwara

Date : 11-12-2018



  
(NARENDRA KUMAR MEENA  
RETURNING OFFICER  
178-MANDAL ASSEMBLY  
CONSTITUENCY (SDO & SDM)  
MANDAL

**रिटर्निंग ऑफिसर**  
178, माण्डल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र  
(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट)  
माण्डल